विशेष

12

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 49) (27 दिसंबर, 2016)

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए 27 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया और लागू किया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 है।

अध्याय 1

प्रारंभिक

इस अधिनियम के पहले अध्याय में बहुत सारी परिभाषाएँ दी गई हैं जैसे—

"देख-रेख कर्ता" से माता-पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संदाय करने पर या उसके बिना, किसी दिव्यांगजन को देख-रेख, सहारा या सहायता देता है।

"दिव्यांगजन" से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अन्य व्यक्तियों के साथ बाधाओं का सामना करने में समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियाँ

अध्याय 2 में कुछ अधिकार और हकदारियाँ दी गई हैं, जैसे—

- समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करें।
- समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।
- किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जाएगा, जब

**पाठकों की सुविधा हेतु अधिनियम को सरलीकृत किया गया है।*

© NCERT not to be republished

तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।

- कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्तियुक्त आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।
- समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भाँति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें।
- समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बालकों को उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।
- दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा।
- समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति को—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, पहुँच प्रदान की गई है।

- समुचित सरकार, दिव्यांगजन को प्रताड़ना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी।
- दिव्यांगजन किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नहीं होगा।
- समुचित सरकार, दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह—

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी;

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएँ उपलब्ध कराएगी।

- ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्री कृत संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएँ होती हैं, उसके बारे में सूचना दे सकेगा।
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

© NCERT not to be republished

- कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो उसे ठोस कदम उठाने होंगे।
- दिव्यांगों को संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान इस अधिनियम द्वारा किया गया है।

अध्याय 3

शिक्षा

अधिनियम के अध्याय 3 में शिक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं।

समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करें—

- उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना;
- भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुँच बनाना;
- व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना;
- ऐसे वातावरण में, जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमाओं तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करना;
- यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो अंधा या बधिर या दोनों है, संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना;
- बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उनपर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;
- प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मॉनीटर करना;
- दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएँ उपलब्धा कराना।

समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात—

- दिव्यांग बालकों की पहचान और उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उस परिणाम के संबंध में जहाँ तक उन्हें पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर पाँच वर्ष में सर्वेक्षण करना;

परंतु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा;

- पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना;
- शिक्षकों को, जिनके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और ऐसे शिक्षकों को भी, जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारीवृंद को प्रशिक्षित और नियोजित करना
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केंद्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

© NCERT not to be republished

- वाक्-शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक्-शक्ति के उपयोग की अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण, ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूप-विधानों सहित समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का सवंर्धन करना
- संदर्भित दिव्यांग छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायता युक्तियाँ नि:शुल्क उपलब्ध कराना;
- संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त उपांतरण करना, जैसे— परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट;
- विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और
- कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हों।

समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन संबंधी सरोकार

- समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।

इसके तहत में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे—

  - सभी मुख्यधारा के औपचारिक और गैर-औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण स्कीमों और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना;
  - यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएँ प्राप्त हैं;
  - ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मसक, बौद्धिक, बहुविध दिव्यांगता स्वपरायणता वाले हैं, अनन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावी संयोजन बाज़ार के साथ हो।
  - रियायती दर पर ऋण, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है।
  - दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन।
  - कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डेटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी हैं।
- कोई भी सरकारी स्थान नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा।

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

© NCERT not to be republished

- प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा।
- केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति देने से इंकार नही किया जाएगा।
- कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा;

यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा।

यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।

- समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी।
- प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिसूचित करेगा।
- प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।
- प्रत्येक स्थापन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।
- प्रत्येक रोज़गार कार्यालय रोज़गार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएँ, सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
- प्रत्येक सरकारी स्थापन, धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।
- उपबंधों के अनुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।
- शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक शिकायत की, इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जाँच की जाएगी।
- यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह ज़िला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा या सकेगी।

© NCERT not to be republished

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

- समुचित सरकार, उनकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिहाज से दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमें और कार्यक्रम बनाएगी। परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिणाम अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।
- समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिव्यांगता, लिंग, आयु और सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति की विविधता पर सम्यक विचार करेगी।
- उपर्युक्त के लिए निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे—
  - सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-रेख और परामर्श के रूप में अच्छी जीवन परिस्थितियों सहित सामुदायिक केंद्र;
  - दिव्यांग बालकों और ऐसे व्यक्तियों, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त अथवा बिना आश्रय व जीवन-निर्वाह के हैं, उनके लिए सुविधाएँ;
  - प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता;
  - दिव्यांग महिलाओं के जीवन-निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;
  - सुरक्षित पेयजल और समुचित तथा पहुँच में स्वच्छता सुविधाएँ, विशेषतया नगरीय गंदी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच;
  - ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ दिव्यांग व्यक्तियों को नि:शुल्क सहायता और साधित्र, औषधियाँ और नैदानिक सेवाएँ तथा सुधारात्मक शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराना;
  - ऐसी आय सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता पेंशन;
  - दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नही रखा जा सका था;
  - उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए देख-रेख प्रदाता भत्ता;
  - ऐसे दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं;
  - कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।
- समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी—
  - ऐसी कुटुंब आय, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए आस-पास, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क स्वास्थ्य देख-रेख;

© NCERT not to be republished

- सरकार के सभी भागों और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं और केंद्रों में बाधा रहित पहुँच;
- परिचर्या और उपचार में पूर्विकता।

- समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-रेख की अभिवृद्धि और दिव्यांगता की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेंगे और स्कीम या कार्यक्रम बनाएँगे और उक्त प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे—
  - दिव्यांगता की घटनाओं के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना;
  - दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना;
  - "जोखिम" के मामलों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जाँच करना;
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारीवृंद को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना;
  - जागरूकता अभियान प्रायोजित करना या कराना और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना;
  - माता और बालक की प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात देख-रेख के लिए उपाय करना;
  - पूर्व-स्कूल, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना;
  - दिव्यांगता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविज़न, रेडियो और अन्य जनसंचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना;
  - प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय स्वास्थ्य देख-रेख;
  - जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएँ;
  - विशेषतया दिव्यांग स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख-रेख।
  - समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीमें बनाएगी।
  - समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्टतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में उनकी आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर सेवाओं और पुनर्वास के कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेंगे या जिम्मेवारी दिलाएँगे।

इसके लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे।

- समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, पुनर्वास स्कीम एवं पुनर्वास नीतियों की विरचना के समय दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे।
- समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यष्टियों या संस्थाओं के माध्यम से, जिनसे आवास, पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएँ, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी।
- समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों के संवर्धन,

© NCERT not to be republished

संरक्षण और अन्य व्यक्तियों के समान आमोद-प्रमोद गतिविधियों में भागीदारी के उपाय करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें भी शामिल हैं—

- दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरूचि और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सुविधा, सहायता और प्रायोजन;
- दिव्यांग इतिहास संग्रहालय की स्थापना जो दिव्यांगजनों के ऐतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और उनका निर्वचन करे;
- दिव्यांगजनों तक कला को सुगम बनाना;
- आमोद-प्रमोद केंद्रों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना;
- बालचर, नृत्य कला कक्षाएँ, बाहरी कैंप और रोमांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना;
- दिव्यांगजनों के लिए पहुँच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुन: डिज़ाइन करना;
- आमोद-प्रमोद गतिविधियों में दिव्यांगजनों के लिए पहुँच और उनको सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी सहायक युक्तियाँ और उपस्करों का विकास करना;
- सुनिश्चित करना कि कम श्रवणशक्ति के व्यक्ति भी सांकेतिक भाषांतरण या उपशीर्षक के जरिए टेलीविज़न कार्यक्रमों तक पहुँच सकें।
- समुचित सरकार दिव्यांगजनों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।
- खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को सम्यक मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक उपबंध करेंगे।

अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे—

- सभी खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की पहुँच, समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुनर्संरचना;
- दिव्यांगजनों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पुन: डिज़ाइन और उसमें सहायता;
- सभी दिव्यांगजनों के लिए अंत:शक्ति, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास;
- सभी दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदी आवश्यकताएँ और विशेषताएँ प्रदान करना;
- दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक खेलकूद सुविधाओं के विकास के लिए निधियों का आवंटन करना;
- दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता विनिर्दिष्ट खेलकूद आयोजनों को संवर्धित करना और आयोजित करना तथा ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं और

© NCERT not to be republished

अन्य भागीदारों को भी पुरस्कार देने को सुकर बनाना।

अध्याय 6 से 17 तक दिव्यांगजनों से संबंधित बहुत-सी अन्य बातें दी गई हैं, जैसे— संदर्भित दिव्यांग बालकों को नि:शुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध, समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान, विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन, केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा ज़िला स्तर समिति, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त, विशेष न्यायालय, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि, दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि, अपराध और शास्तियाँ तथा प्रकीर्ण।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
पांचवीं मंजिल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नयी दिल्ली 110003 (भारत)

© NCERT not to be republished

* **नोट**— अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें—

http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20Act%20-%20Hindi-2016.pdf